

मैसर्स लक्ष्मी वूल ट्रेडर्स,  
प्लॉट-12, कृषि मण्डी, सीकर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स) तृतीय,  
वाणिज्यिक कर, जयपुर।
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-द्वितीय, सीकर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,  
अभिभाषक  
श्री एन.के.बैद  
उपराजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 27 / 04 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 130/अपील्स-IV / 09-10/सीकर में पारित आदेश दिनांक 19.11.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, सीकर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 30 एवं 58 के तहत आरोपित कुल मांग राशि रुपये 40,690/- को यथावत रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी का आलोच्य अवधि वर्ष 2002-03 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.02.2005 को पारित किया गया था। जिसकी जांच करने पर पाया गया कि अपीलार्थी ने वूल, वूलयार्न पर 2 प्रतिशत से करारोपण घोषित किया था जबकि इस पर 4 प्रतिशत से कर देय है। इस संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 22.05.2009 को अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, अपीलार्थी के जवाब से असंतुष्ट होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि में अधिनियम की धारा 30 एवं 58 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए वूल, वूलयार्न की बिक्री रुपये 8,84,530/- पर 2 प्रतिशत से अन्तर कर रुपये 17,691/-, सरचार्ज रुपये 2,654/- तथा इसे अदेय मानकर ब्याज रुपये 20,345/- कुल रुपये 40,690/- की मांग कायम की। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.11.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर पारित आदेश में अधिरोपित अन्तर कर, सरचार्ज एवं ब्याज अविधिक है। अपीलार्थी ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(30)एफडी/टैक्स डिवी/2002-178 दिनांक 22.03.2002 के अनुसार यार्न की बिक्री की है जिस पर 2 प्रतिशत कर देय है तथा मूल कर निर्धारण में 2 प्रतिशत से करारोपण हो चुका था, तत्पश्चात सशक्त अधिकारी द्वारा पुनः प्रकरण की जांच की जाकर अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 22.05.2009 को जारी किया गया, जो कि आलोच्य अवधि वर्ष 2002-03 से पांच वर्ष पश्चात है। अतः अधिनियम की धारा 30 के तहत आलोच्य अवधि से पांच वर्ष के पश्चात नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी-विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अध्ययन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि वर्ष 2002-03 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.02.2005 को पारित किया गया। इसके पश्चात सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी के कर निर्धारण पर पुनः सुनवाई करने हेतु दिनांक 22.05.2009 को नोटिस जारी किया। हस्तगत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि आलोच्य वर्ष 2002-03 की समाप्ति दिनांक 31.03.2003 को हो जाने के पश्चात दिनांक 22.05.2009 को नोटिस जारी कर प्रकरण पर पुनः सुनवाई की जा सकती है अथवा नहीं? इसके लिए सर्वप्रथम अधिनियम की धारा 30(3) का अर्थानुसार किया जाना समीचीन होगा। अधिनियम की धारा 30(3) अनुसार :-

### 30. Escaped assessment -

(1).....

(2).....

(3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years and no assessment under the said sub-sections shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant assessment year; but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in order passed by an appellate authority or the Tax Board or a competent court.

7. धारा 30(3) से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि का कर निर्धारण किये जाने के पश्चात आलोच्य वर्ष की समाप्ति के पांच वर्ष के भीतर ही धारा 30 के अन्तर्गत नोटिस दिया जाकर प्रकरण पर पुनः सुनवाई की जा सकती है। जबकि सशक्त अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2002-03 की समाप्ति दिनांक 31.03.2003 के पांच वर्ष 31.03.2008 को पूर्ण हो जाने के पश्चात् दिनांक 22.05.2009 को नोटिस जारी किया गया

लगातार.....3

जो कि कालातीत (Time Barred) हो गई।

8. इस प्रकार सशक्त अधिकारी ने प्रकरण कालातीत हो जाने के पश्चात् नोटिस जारी कर कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.07.2009 पारित किया, जो कि अविधिक होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किया जाता है।

9. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।  
निर्णय सुनाया गया।

( मदनलाल मालवीय )  
सदस्य